निर्णय वइजलास श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी छबडा जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या 40/2023
दायरा दिनांकः—07.07.2023
निर्णय दिनांकः— 28.8.24

उनवान

1 बसन्ती बाई आयु 60 वर्ष पत्नि मदनलाल जाति चमार निवासी ग्राम गुगोर तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

बनाम

1. क्षैत्रिय वन मंडल अधिकारी वन मंडल कार्यालय छबडा
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील छबडा जिला बारा राज0

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0 टी0 एक्ट0
निर्णय दिनांकः— 28.4.24
अभिभाषक उपस्थितः—1. श्री नारायणलाल चौरसिया — प्रार्थी
2. श्री हेमन्त पारीक — अप्रार्थी

अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 212 आर.टी.ए विरूद्ध अप्रार्थीगण के न्यायालय मे इस आशय का पेश किया गया कि प्रार्थीया के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि खाता संख्या 150/157 की खसरा नम्बर 442 रकबा 05 बीघा 12 बिस्वा यानि 1.4164 है0 भूमि वाके ग्राम गुगौर तहसील छबडा में स्थित है। उक्त भूमि पर प्रार्थीया ही कब्जा काश्त करती चली आ रही है। उक्त विवादित भूमि के लगवां वन विभाग की भूमि है। किन्तु प्रार्थीया को वन विभाग की भूमि से कोई लेना देना नही है। अप्रार्थीगण उक्त विवादित भूमि को वन विभाग की बताकर प्रार्थीया को उक्त विवादित भूमि से बेदखल करना चाहतें है। जब प्रार्थीया ने अप्रार्थीगण से उक्त भूमि की पैमाईश करवाने के लिए कहां तो अप्रार्थीगण ने मना कर दिया। उक्त विवादित भूमि प्रार्थीया की खातेदारी की भूमि में प्रार्थीया ने मक्का सोयाबीन की फसल बो रखी है। अप्रार्थीगण जबरन उक्त विवादग्रस्त भूमि को वन विभाग की बताकर प्रार्थीया को बेदखल कर खडी फसल को नष्ट करने पर आमादा है। प्रार्थीया ने मना किया रोका तो कहां कि एसडीओ कोर्ट में कार्यवाही करने तथा न्यायालय के आदेश से पैमाईश करवाने की कहां तथा अप्रार्थीगण ने प्रार्थीया को धमकी दी कि उक्त विवादित भूमि को खाली कर देना नही तो जेसीबी चलाकर बेदखल कर दिया जाएगा।

वादिया का वाद दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी क्रम 1 की ओर से जवाब पेश हुआ। प्रार्थीया द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम गुगोर सम्वत् 2071—74 खाता संख्या 157 नकल जमाबन्दी ग्राम गुगोर सम्वत् 2075—78 खाता संख्सा 150 नकल नक्शा ट्रेस ग्राम गुगोर पेश किया गया।

बहस अभिभाषक उभय पक्षकारान सुनी गई। बहस के दौरान वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को दौहराया गया। वकील प्रार्थी का कथन है कि विवादित आराजी वाके ग्राम गुगोर तहसील छबडा में स्थित है। जिस पर प्रार्थीया

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

कब्जा काश्त चला आ रहा है प्रार्थीया के खातेदारी की भूमि के पास वन विभाग की है परन्तु वन विभाग की भूमि से प्रार्थीया का कोई लेना देना नही है। अप्रार्थीगण उक्त विवादित भूमि को वन विभाग की बताकर प्रार्थीया को भूमि से बेदखल करना चाहते है प्रार्थीया द्वारा भूमि की पैमाईश कराने क लिए अप्रार्थीगण से कहां तो अप्रार्थीगण ने मना कर दिया अप्रार्थीगण जबरन उक्त विवादित भूमि को वन विभाग की बताकर प्रार्थीया को बेदखल कर खडी फसल को नष्ट करने पर आमादा है यदि प्रार्थीया को भूमि से बेदखल कर कब्जा अप्रार्थीगण द्वारा कर लिया तो प्रार्थीया को अपरिमित क्षति होगी। प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

बहस के दौरान वकील अप्रार्थी का कथन है कि प्रार्थीया द्वारा उक्त भूमि की काश्त नही की गई। प्रार्थीया खसरा नम्बर 442 की आड में खसरा नम्बर 442/1 अप्रार्थी क्रम 1 की राजकीय भूमि पर कब्जा करना चाहती है जोर गैर कानूनी एवं अपराधिक कृत्य की श्रेणी में आती है प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र विधि के प्रावधानों के विरूद्ध होने से खारिज किया जावे। वन मण्डल भारत सरकार का उपक्रम है ऐसी सूरत में वन मण्डल की भूमि पर माननीय न्यायालय को वन विभाग के विरूद्ध किसी भी कार्यवाही को सुनने एवं निस्तारण करने का क्षैत्राधिकार प्राप्त नही है क्षैत्राधिकार के अभाव में प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे। अप्रार्थी क्रम 1 विभाग से सम्बन्धित उच्च अधिकारियों को पक्षकार नही बनाया गया है प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र पक्षकार के दुसंयोजन के कारण खारिज किया जावे। प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही होने से खारिज फरमाया जावे।

बहस अभिभाषक उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम गुगौर सम्वत् 2071–74 खाता संख्या 157 में बसन्ती बाई पत्नि मदनलाल जाति चमार सा0देह दर्ज है नकल जमाबन्दी ग्राम गुगौर सम्वत् 2075–78 खाता संख्या 150 में बसन्ती बाई पत्नि मदनलाल जाति चमार सा.देह दर्ज रिकार्ड है। इससे यह साबित होता है कि विवादित आराजी प्रार्थीया के खातेदारी एवं कब्जे काश्त में चली आ रही है। अप्रार्थीगण अपनी स्वंय की भूमि का सीमाज्ञान करवा सकते है बिना सीमाज्ञान के प्रार्थीया को उसके स्वंय के खसरे से बेदखल करना उचित नही है। प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है अप्रार्थीगण को ताफैसला वाद जर्ये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि विवादित आराजी वाके ग्राम गुगौर तहसील छबडा के खसरा नम्बर 442 रकबा 5.12 बीघा यानि 1.4164 है0 भूमि में प्रार्थीया को बेदखल नही करे एवं प्रार्थीया को शान्तिपूर्वक कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखल अन्दाजी नही करे।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामसिंह गुर्जर)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी, छबडा

उपखण्ड अधिकारी
छबडा (बारां)